न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर

पीठासीन अधिकारी— **विष्णु कुमार गोयल—1 आर.ए.एस.**

वाद संख्या: 119/2021

1. छीतर पुत्र स्व0 कल्याण
2. कानाराम पुत्र स्व0 कल्याण
3. गंगा पत्नी नानगराम
4. सूरज पुत्र नानगराम
5. बद्री पुत्र नानगराम

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

......वादीगण

ब ना म

1. रामलाल पुत्र स्व0 श्री जयनारायण
2. बंशीलाल पुत्र स्व0 श्री जयनारायण
3. रामस्वरूप पुत्र स्व0 श्री जयनारायण

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उपतहसील बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.... प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित: वादी — श्री राजकुमार गठाला एडवोकेट्

प्रतिवादीगण — श्री जितेन्द्र सिंह हरितवाल एडवोकेट

निर्णय **दिंनाक 30.11.2022**

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:07 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से दा[illegible] साथ [illegible] किया गया कि ग्राम दहमीकलां, पटवार क्षेत्र दहमीकलां भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त टीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित साबिक आराजी खसरा नंबर [illegible]3 रकबा 1 बिस्वा एवं खसरा नंबर 844 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2034 राजस्व

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

रिकॉर्ड में ग्यारसा, कल्याण, भूरा, गुल्ला, जयनारायण पिता चन्द्रा जाति के नाम से दर्ज व अंकित है। जिसके हाल खाता संख्या 256 पुराना 226 के खसरा नंबर 1599, 1639/2568, 1640, 1641, 1644, 1647, 1648 कुल किता 7 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर है। वादीगण उक्त भूमि में अपने पूवर्ज (कल्याण पुत्र चन्द्रा) के समय से एवं उनके पश्चात् वादीगण अपने निहित हिस्से 1/5 में वर्तमान में काबिज काश्त होकर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही मौरूसी आला की संताने है। साबिक खसरा नंबर 843 व 844 में से भूरा व जयनारायण पुत्रान चन्द्रा अपना सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 14.08.1975 को भंवर लाल, बंशीधर, राधा मोहन पुत्र मांगीलाल को विक्रय कर दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या 179 दिनांक 16.02.1977 को क्रेतागण के पक्ष में अमल दरामद किया गया। उक्त भूमि साबिक खसरा नंबर दौराने सैटलमेन्ट राजस्व अधिकारियो द्वारा वादीगण के पूर्वज कल्याण पुत्र चन्दा का उक्त आराजी में हिस्सा 1/5 की खातेदारी हजफ कर उक्त खातेदारी हिस्सा 1/5 चन्दा के पुत्र जयनारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित कर दी गई। जबकि जयनारायण द्वारा उक्त विवादित भूमि में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान करने के पश्चात उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई संबंध व हक हिस्सा निहित नही था उसके उपरांत भी दौराने सैटलमेन्ट अधिकारियो/कर्मचारियो द्वारा मिलीभगत कर उक्त वादीगण के पूर्वज की खातेदारी हिस्सा 1/5 की खातेदारी अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वज जयनारायण पुत्र चन्दा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई। उक्त अवैध कार्यवाही प्रारम्भ से ही वादीगण के हितो के विरूद्व प्रभावशून्य व नले एण्ड वोईड है। चन्दा के पुत्र ग्यारसी लाल का स्वर्गवास होने पर उसके विरासत नामान्तकरण तस्दीक करते समय उसके पुत्र शंकर महादेव पिता ग्यारसीलाल के स्थान पर शंकर, महादेव पुत्र कल्याण अवैध रूप से दर्ज व अंकित करवा लिया। उक्त दुरूस्ती बाबत् शंकर, महादेव द्वारा एक वाद न्यायालय में प्रस्तुत उक्त दुरूस्ती का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम से करवा लिया। सैटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा केवल मात्र राजस्व रिकोर्ड की पुर्नावर्ती करने मात्र का अधिकार होता है सैटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन/कमी/बेसी करने का कोई अधिकार नही है। उक्त अवैध राजस्व रिकॉर्ड में हुये इन्द्राजात की जानकारी वादीगण को पूर्व से रही है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता जयनारायण द्वारा आश्वस्त कर रखा था कि [illegible] हिस्से पर काबिज हो। राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटी को हम [illegible] हिस्से की भूमि कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा [illegible] पूर्व में वादीगण के पूर्वज कल्याण आश्वस्त थे। जब भी उक्त इन्द्राजात दु[illegible]ी की बात कही जाती तभी भी उक्त कथनात ही वादीगण को आश्वस्त के तौर पर कहे जाते इस पर वादीगण आश्वस्त थे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 09.12.2021 को जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त दुरूस्ती राजस्व रिकॉर्ड में सही करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 ने साफ इनकार कर दिया कि उक्त भूमि हमारी पैतृक भूमि है और हमारे पूर्वज पिता के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। हम कोई शुद्धि नही करवायेगे। और उक्त भूमि हमारे नाम है इसलिए उक्त भूमि का बेचान करेगे, और यहॉ प्लाटिंग करवायेगे। इस पर वादीगण को वाद कारण उत्पन्न हुआ और यह वाद बाबत् घोषणा, दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर खातेदारी की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादग्रस्त आराजी ग्राम दहमीकलां, पटवार क्षेत्र दहमीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित साबित आराजी खसरा नंबर 843 रकबा 1 बिस्वा एवं खसरा नंबर 844 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा हाल खाता संख्या 256 पुराना 226 के खसरा नंबर 1599, 1639/2568, 1640, 1641, 1644, 1647, 1648 कुल किता 7 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर में से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम हजफ करते हुये, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 हिस्से पर वादीगण को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजीयात अथवा इसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से बैचान–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने एवं आम व खास मुखत्यार नियुक्त करने से निषेध रहें तथा किसी भी प्रकार कोई लेख्य पत्र तस्दीक एवं पजीयन करने से निषेद्व रहें तथा वादी के कब्जे–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, बाधा, हस्तक्षेप, मजाहमत, मदाखलत करने से निषेद्व रहें तथा अपने–अपने परिवारजन, एजेण्ट, सर्वेण्ट प्रतिनिधि इत्यादि को भी निषेध रखे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायीं रखें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ जमाबंदी खतौनी सम्वत् 2015 से 2034 की प्रति, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी सम्वत् 2051 से हाल तक, हाल जमाबंदी, नामान्तकरण संख्या 179 दिनांक 16.02.1977 की प्रति, रजिस्ट्री दिनांक 14.07.75 की प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से [illegible] सिह हारितवाल एडवोकेट ने वकालतनामा व प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र में अंकित है कि वादीगण ने उक्त वाद भूमियां खसरा नंबर 843, 844 हाल खाता संख्या 256, पुराना 226 के खसरा नंबर 1599, 1639/2568, 1640, 1641, 1644, 1647, 1648 के घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत किया है। प्रकरण में विवादित उक्त खसरा नंबरान् की भूमियां मिन प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से दर्ज व अंकित हो गई है। मिन प्रतिवादीगण उक्त खसरा नंबरान की भूमियों के खातेदार काश्तकार नही है तथा ना ही मिन प्रतिवादीगण का उक्त भूमियों पर काबिज काश्त है। इस कारण उक्त भूमियों से मिन प्रतिवादीगण का नाम हटाया/विलोपित किया जाकर वादीगण को उक्त भूमियो का उनके हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की हद तक उक्त वाद डिक्री किये जाने में मिन प्रतिवादीगण को कोई ऐजराज नही है तथा वादपत्र में वर्णित शेष अनुतोष से मिन प्रतिवादीगण इन्कार करते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि आवेदन प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 स्वीकार किया जाकर ग्राम दहमीकलां, पटवार क्षेत्र दहमीकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमियां खसरा नंबर 843, 844 खाता संख्या 256, पुराना 226 के खसरा नंबर 1599, 1639/2568, 1640, 1641, 1644, 1647, 1648 में मिन प्रतिवादीगण का नाम हटाया/विलोपित किया जाकर वादीगण को उक्त भूमियों का उनके हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की हद तक उक्त वाद डिक्री किये जाने में मिन प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है।

वकील वादी ने विचाराधीन वाद में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है इसलिए वाद का निस्तारण किया जावे।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद में अंकन की साबिक आराजी खसरा नंबर 843 रकबा 1 बिस्वा एवं खसरा नंबर 844 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत् 2015 से 2034 राजस्व रिकॉर्ड में ग्यारसा, कल्याण, भूरा, गुल्ला, जयनारायण पिता चन्द्रा जाति के नाम से दर्ज व अंकित है। जिसके हाल खाता संख्या 256 पुराना 226 के खसरा नंबर 1599, 1639/2568, 1640, 1641, 1644, 1647, 1648 कुल किता 7 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही मौरूसी आला की संताने है। साबिक खसरा नंबर 843 व 844 में से भूरा व जयनारायण पुत्रान चन्द्रा अपना सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 14.08.1975 को भंवर लाल, बंशीधर, राधा मोहन पुत्र मांगीलाल को विक्रय कर दिया। जिसका नामान्तकरण संख्या 179 दिनांक [illegible] के पक्ष में अमल दरामद किया गया। उक्त भूमि साबिक खसरा नंबर [illegible] राजस्व अधिकारियो द्वारा वादीगण के पूर्वज कल्याण पुत्र चन्द्रा का उक्त [illegible] में हिस्सा 1/5 की खातेदारी हजफ कर उक्त खातेदारी हिस्सा 1/5 [illegible] पुत्र जयनारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित कर दी गई। जिसे वादीगण दुरूस्त करवाकर प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

1 लगायत 3 हिस्से पर वादीगण को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात खतौनी बन्दोबस्त जमाबंदी भू-प्रबंध (सेटलमेंट) विभाग से अवलोकन से भी जाहिर है कि साबिक खसरा नंबर 843, 844 के खातेदार ग्यारसा, कल्याना, भूरा, गुल्लानाथ, जैनारायन पि० चन्दर थे। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साविक खसरा नंबर 843, 844 के हाल खसरा नंबर 1640, 1599, 1641, 1644, 1647, 1648, 1639/2568 बनाये गये है। मुताबिक विक्रय लेख्य पत्र 456 दिनांक 14.07.75 से स्पष्ट है कि जयनारायण द्वारा वादग्रस्त आाजीयात में हिस्से 1/5 का बेचान किया जा चुका है। लेकिन वर्तमान जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात में जयनारायण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम अंकित है और वादीगण का नाम विलोपित किया जा चुका है। वैसे भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 जयनारायण के वारिसान रामलाल, वंशीलाल, व रामस्वरूप पुत्रान् जयनारायण ने न्यायालय में जवाब दावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात में स्वयं का नाम हटाया/विलोपित किया जाकर वादीगण को उनके हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु सहमति दी है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर साबिक खसरा नंबर 843 रकबा 1 बिस्वा एवं खसरा नंबर 844 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खाता संख्या 256 पुराना 226 के खसरा नंबर 1599, 1639/2568, 1640, 1641, 1644, 1647, 1648 कुल किता 7 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर स्थित ग्राम दहमीकलां, पटवार क्षेत्र दहमीकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादीगण को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम हजफ/विलोपित कर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिद दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

छीतर **बनाम** रामलाल वगै.

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा

88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/119/2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर साबिक खसरा नंबर 843 रकबा 1 बिस्वा एवं खसरा नंबर 844 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा जिसके हाल खाता संख्या 256 पुराना 226 के खसरा नंबर 1599, 1639/2568, 1640, 1641, 1644, 1647, 1648 कुल किता 7 कुल रकबा 1.67 हैक्टेयर स्थित ग्राम दहमीकलां, पटवार क्षेत्र दहमीकलां भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादीगण को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का नाम हजफ/विलोपित कर वादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ......ø...... मुबलिग ......ø...... बाबत् ......ø...... ......ø...... फीसदी सालाना .... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ......ø...... का अदा करें। आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......ø......

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.11.2022 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दस्तखत ......सहायक कलक्टर......

ओहदा ......जयपुर शहर द्वितीय......

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.05 16:27:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner